भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1441
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 9 फरवरी, 2026
20 माघ, 1947 (शक)

मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

1441. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और प्रलेखन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और विरासत परिसरों के संरक्षण के लिए कार्यान्वित की जा रही सरकारी योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पारंपरिक कला रूपों, लोक संगीत, नृत्य, शिल्प और स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है, जिसमें कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को सहायता भी शामिल है;
(घ) क्या सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा, बहाली और सतत प्रबंधन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया लागू है;
(ङ) पर्यटन, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी के लिए संस्कृति का लाभ उठाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, जिसमें डिजिटल पहल और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं; और
(च) सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और भावी पीढ़ियों के लिए भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त नीतिगत, वित्तीय और संस्थागत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण और अनुरक्षण के अंतर्गत देश भर में कुल 3686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। इन संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वार्षिक संरक्षण योजना के अनुमोदन के बाद, स्मारक के संरक्षण की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। ये सभी स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं।

इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश भर में 52 पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों के माध्यम से पुरातात्विक उत्खनन और संरक्षित स्मारकों से प्राप्त पुरावशेषों और कलाकृतियों का संरक्षण और प्रदर्शन करता है। इन संग्रहों को संग्रहालय के परिग्रहण रजिस्टरों के साथ-साथ इनका संरक्षण, उन्नयन और उचित प्रलेखन सुनिश्चित करते हुए इन्हें डिजिटल रूप में भी व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया जाता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश भर में स्मारकों (निर्मित धरोहर और स्थलों) और पुरावशेषों पर दो राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) की स्थापना की है।

(ग): देश भर में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में अवस्थित मुख्यालयों के साथ सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूरे भारत में नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और इनमें लोक/आदिवासी कलाकारों को शामिल करके उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन कलाकारों को मानदेय, टी. ए./डी. ए., स्थानीय परिवहन, भोजन और आवास आदि का भुगतान किया जाता है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें।

(घ): राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और क्षेत्रों (स्थलों) को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा निर्धारित प्रारूप में संगत दस्तावेजों के साथ प्राप्त इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात्, तकनीकी मूल्याकंन समिति की सिफारिश के पश्चात्, केंद्र सरकार जनता से इस पर विचार मांगते हुए, इसे अधिसूचित करती है। इसके बाद, उस स्मारक/स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के संबंध में एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाती है।

(ङ): संस्कृति मंत्रालय, सिक्के, चित्रकला, पांडुलिपि, डाक टिकट, सजावटी कला, पुरातत्व, मोती, मानव विज्ञान, शस्त्र और कवच, टेराकोटा, चीनी मिट्टी के बर्तन, केंद्रीय एशिया के पुरावशेष, मुद्रा विज्ञान, शिलालेख पांडुलिपियों और कलाकृतियों जैसे संग्रहों के डिजिटलीकरण के लिए "जतन" नामक एक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर के 8 प्रसिद्ध संग्रहालयों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 2 संग्रहालयों को जतन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है। सी-डैक, पुणे के साथ तकनीकी सहयोग से इन संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटल रिपॉजिटरी की उपर्युक्त परियोजना के साथ-साथ एक एकीकृत वेब पोर्टल www.museumsof india.gov.in पर इन संग्रहालयों के संग्रह का विवरण उनकी छवियों के साथ उपलब्ध है। अभी तक डिजीटलीकृत किए गए अभिलेखों को निम्नलिखित लिंक https://museumsofindia.gov.in/repository पर जाकर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन, जागरूकता बढ़ाने और विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य इच्छुक संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है।

(च): संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन) के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) का आयोजन करता है जो हमारे देश की अतुल्य परंपरा, संस्कृति, धरोहर और समृद्ध विविधता की भावना का उत्सव मानते हैं। इस महोत्सव का व्यापक उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और इसे लोकप्रिय बनाना और युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से फिर से जोड़ना और विविधता में एकता के माध्यम से राष्ट्र और विश्व को अपनी सौम्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। वर्ष 2015 से, मंत्रालय ने अपने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से 14 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव और 4 क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया है। इन राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव /क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में कुल 12543 कलाकारों ने भाग लिया है। इन कलाकारों को मानदेय, टी. ए./डी. ए., स्थानीय परिवहन, भोजन और आवास आदि का भुगतान किया गया था ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।

इसके अलावा, राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन ने 11,406 निर्मित धरोहरों और स्थलों तथा 12,47,668 पुरावशेषों के आंकड़ों का दस्तावेजीकरण और प्रकाशन किया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन की वेबसाइट http://nmma.nic.in पर प्रकाशित किया गया है।

*****